फोन/Phone: 91-22-6656 5656
ई-मेल/Email: secretary@mumbaiport.gov.in
वेबसाईट/Website: www.mumbaiport.gov.in

SAGARMALA
PORT-LED PROSPERITY

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
MUMBAI PORT AUTHORITY

सामान्य प्रशासन विभाग
पोर्ट भवन, दूसरा माला
शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट,
मुंबई - 400 001.

General Administration Department,
Port House, 2nd floor,
S.V. Marg, Ballard Estate,
MUMBAI - 400 001.

सं. सा.प्र.वि./पी/आरईसीटी-डी.वाय.सीएमई/809 24 फरवरी 2022.

भर्ती सूचना

अध्यक्ष,
सभी महापत्तन न्यास/ प्राधिकरण
(कामराजार पोर्ट छोडकर)

महोदय/महोदया,

विषय : **मुंबई पोर्ट प्राधिकरण में संयुक्त पध्दति से समावेशन द्वारा उप मुख्य यांत्रिकी अभियंता का पद भरना.**

मुंबई पोर्ट प्राधिकरण के यांत्रिक तथा विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में रु 80000-220000 (संशोधन पूर्व रु 32900-58000) वेतन मान में उप मुख्य यांत्रिकी अभियंता का एक पद 4.5.2022 से रिक्त हो गा. मुंपोट्र कर्मचारी (भर्ती, वरीष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 के अंतर्गत भर्ती नियमों के अनुसार यह पद संयुक्त पध्दति के माध्यम से महापत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों का समावेश करके भरा जाना है इस पद के लिए भर्ती नियमों की प्रति अनुलग्नक - I में है.

2. भर्ती नियमों के अनुसार निर्धारित योग्यता, अनुभव तथा अन्य निकषों/आवश्यकताओं को धारण कर रहे सभी महा पत्तन प्राधिकरण के पात्र तथा इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते है.

3. आवेदन "ऑनलाईन आवेदन पोर्टल (ओएपी)" के माध्यम से **28.2.2022 से 28.3.2022** प्रस्तुत किए जाए. ऑनलाईन आवेदन की प्रिंट आउट सभी आवश्यक कागजातोंकी प्रतियों के साथ उचित माध्यम के जरिए प्रस्तुत की जाना जरुरी है. उप मुख्य यांत्रिकी अभियंता के पद के लिए पात्रता तय करने की निर्णायक तिथि **4.5.2022** होगी. निम्नलिखित कागजातों के साथ आवेदन संबंधित पोर्ट प्राधिकरण द्वारा **13.4.2022** को या उससे पहले, सचिव, मुंबई पत्तन प्राधिकरण, पोर्ट भवन, दूसरा माला, शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई - 400 001, को प्राप्त हो इस प्रकार अग्रेषित किये जाए.

(i) पिछले 5 वर्षों की (2016-17 से 2020-21) वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों/वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियाँ (उप विभाग प्रमुख स्तर से कम नहीं ऐसे अधिकारी द्वारा हर एक पन्ने पर विधिवत प्रमाणित करें.

(ii) वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की वर्षवार उपलब्धता तथा श्रेणीकरण दर्शनिवाला विवरण विभाग प्रमुख अथवा सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो. पिछले पाँच वर्षों में से यदि किसी विशिष्ट

वर्ष/अवधि की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उपलब्ध न हो तो उसके बारे में 'रिपोर्ट नहीं है प्रमाणपत्र' पूर्ववर्ती वर्षों के गोपनीय रिपोर्टों के साथ प्रस्तुत करें).

(iii) संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा विधिवत भरा गया, हस्ताक्षरित किया गया, तथा मुहर लगाया गया प्रशासनिक तथा सतर्कता अनापत्ति (प्रपत्र की प्रति अनुलग्नक II में संलग्न की गई है).

(iv) संबंधित पोर्ट द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र.

(v) आवेदक को यदि सेवा चयन समिति द्वारा चयन किया जाता है, तो उम्मीदवारी वापस नहीं ली जाएगी, इस आशय का प्रतिज्ञापत्र देना होगा.

(vi) इस पोर्ट को आवेदन अग्रेषित करते समय संबंधित पद तथा वेतनमान वार उसमें शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के प्रमाण के रुप में सभी प्रमाणपत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियों को संबंधित पोर्ट द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाए.

(vii) यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदन पर कोई बड़ा या मामूली दण्ड लगाया गया है, तो आवश्यक कागजातों के साथ अनुशासनात्मक मामला जो ऐसे दण्ड की और ले जाता हो इसे आवेदन सहित अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा अनुलग्नक III के रुप में संलग्न फॉर्मेट में सतर्कता रिपोर्ट प्रस्तुत की जाना जरुरी है.

4.1 उम्मीदवारों को अनुदेश:

इस परिपत्र के संदर्भ में इच्छुक पात्र उम्मीदवारों को अपना आवेदन पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय की वेबसाईट http://onlinevacancy.shipmin.nic.in के "ऑनलाईन आवेदन पोर्टल (ओएपी)" के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है. यह लिंक **28.2.2022 से 28.3.2022** तक खुली होगी. सबसे पहले उम्मीदवार को अपने आप को ओएपी में पंजीकृत करवा लेना जरुरी है. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, उम्मिदवार को ऑनलाईन आवेदन का प्रिंट आउट लेकर उसे स्वयं प्रमाणित पुष्टीकृत कागजातों की फोटो प्रतियों के साथ 2 हालही के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ्स के साथ संबंधित पोर्ट को प्रस्तुत करना जरुरी है. अपूर्ण आवेदन अथवा देर से प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा.

4.2 मंत्रालय के दिनांक 9.7.2020 के पत्र के अनुसार, सभी उप विभाग स्तर पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी तथा अनुशासनिक प्राधिकारी केंद्र सरकार अर्थात सचिव (पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग) होंगे. उस संबंध में, सभी महा पत्तन न्यासों को उनके सेवा विनियमों में अर्थात भर्ती नियम (RRs), वरिष्ठता तथा पदोन्नति (आर एस ऑण्ड पी), वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील तथा अन्य संगत विनियमों में (जहाँ कही भी आवश्यक हो) निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार संशोधन करने का निदेश दिया जाता है.

4.3 तत्पश्चात, मंत्रालय ने दिनांक 29.12.2020 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि सेवा विनियमों में अर्थात भर्ती नियम (RRs), भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति (आर एस ऑण्ड पी), वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील तथा अन्य संगत विनियमों में जब तक संशोधनों को अधिसूचित नहीं किया जाता है तब तक, महा पत्तन न्यासों में उप विभाग प्रमुख के स्तर के पदों को केवल पोर्ट के स्तर पर मिश्रित पध्दति द्वारा समावेश करके भरा जा सकता है, पदों को

भरने हेतु विज्ञापन, विभाग में पदोन्नति समिति आदि को पोर्ट के स्तर पर आयोजित किया जाए. तथापि विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिशों के बारे में महा पत्तन न्यासों द्वारा मंत्रालय को सूचित किया जाएगा तथा नियुक्ति आदेशों को जारी करने से पहले मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा.

4.4 मंत्रालय के सलाह/ निर्देश दिनांक 11.8.2021 के अनुसार, उप विभाग प्रमुख स्तर का पद भरने के संबंध में, पोर्ट द्वारा किसी भी आवेदक के संबंध में आवेदन की अग्रिम प्रति की प्राप्ति के बारे में यदि उसका आवेदन, आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि के 15 दिनों के अंदर प्राप्त नहीं हुआ तो पोर्ट द्वारा उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जायेगा.

4.5 उसी प्रकार, उपरोक्त दिनांक 11.8.2021 के अनुसार, जो पोर्ट अधिकारी सेवा चयन समिति द्वारा उसका चयन किये जाने के बाद इस पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेता है तो उसे दो वर्ष की अवधि के लिए सभी महापत्तन न्यासों में उप विभाग प्रमुख स्तर के पदोंपर भविष्य में चयन हेतु विवर्जित किया जा सकता है.

5. अनुलग्नकों सहित परिपत्र हमारी वेबसाईट www.mumbaiport.gov.in पर भी उपलब्ध है.

भवदीय,

सचिव

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

संलग्न. यथोक्त.

यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग

अनुलग्नक -I

क्र.सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	पद च्यन है या गैरच्यन	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सिमा	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें	सीधी भर्ती के लिए (क)आयु (ख) शैक्षणिक योग्यतायें (ग) अनुभव पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू है	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती की प्रक्रिया (सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/ विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति के मामले में वेतनमान ज्हाँ से ऐसा किया ज्ना है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	उप पुख्य यांत्रिक अभियंता	4	श्रेणीब	16000-400-20800	च्यन	42	**अनिवार्य :** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से यांत्रिक/विद्युत/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचर में डिग्री या समकक्ष. (ii) औद्योगिक/वणिज्कि/ सरकारी उपक्रम में कार्यकारी संवर्ग में संबध्द विषय में 12 वर्ष का अनुभव	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	संयूक्त प्रक्रिया के माध्यम से **विलयन द्वारा** अन्यथा सरकारी सरकारी संगठनों से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** दोनो नही होने पर **सीधी भर्ती द्वारा**	संयुक्त पध्दति द्वारा महापत्तन न्यास में समकक्ष पद पर कार्यकर रहे अधिकारी अथवा 13000-18250 रूपये वेतनमान पर यांत्रिकी एवं विद्युतविभाग मे 3 वर्ष से नियमित कार्यकर रहे अधीक्षण अभियंताऔर समकक्ष पद के अधिकारीअथवा महापत्तन न्यास में संबध्दविषय में यांत्रिक एवं विद्युत विभाग मे 2 वर्ष से नियमित कार्य कर रहे और 10750-16750 और13000-18250रूपये के वेतनमान पर संयुक्त रूप से 7 वर्ष से कार्य कर रहे अधीक्षण अभियंता औरसमकक्ष पद के अधिकारी विलयन के योग्य है. सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकायों में तत्समान पद पर कार्य कर रहे अथवा अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्य कर रहे अधिकारी और 13000-18200 रूपये वेतनमान पर यांत्रिक एवं विद्युत विभाग में 3 वर्ष से कार्य कर रहे समकक्ष पद के अभियंता प्रतिनियुक्ति के योग्य है. च्यन गुण दोष के आधार पर होगा इसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में बैंच्मार्क की संपूर्ण ग्रेडिंग कम से कम 'बहुत अच्छा' होना आवश्यक है.	

अनुलग्नक-II

विभाग प्रमुख द्वारा दिया जानेवाला प्रमाणपत्र

श्री/श्रीमती --------------------------

पद --------------------------------

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता का मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है और वे/वह सतर्कता और प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्दोष है.

3. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है.

4. यह प्रमाणित है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा/मामूली दण्ड नहीं लगाया गया है. यदि कोई हो तो कृपया उसका विवरण दें.

5. पिछले पांच वर्षों (1.4.2016 से 31.3.2021) के लिए एसीआर की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न हैं.

6. यह प्रमाणित है कि पदग्राही समग्र योग्यता के माध्यम से मिश्रित पध्दति से भर्ती के परिपत्रक के अनुलग्नक -I में निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि अपेक्षित पात्रता मानदण्डो को पूरा करता है.

विभाग प्रमुख का हस्ताक्षर मोहर (सील) के साथ

अनुलग्नक III

सतर्कता अनापत्ति हेतु प्रपत्र

संदर्भ संख्या

दिनांक

भाग ए मानव संसाधन विभाग द्वारा भरा जाए:

1	आवेदक का नाम	:	
2	विभाग तथा भविष्य निधि खाता संख्या	:	
3	पदनाम तथा श्रेणी	:	
4	संशोधित वेतनमान (रु)	:	
5	क्या वार्षिक संपत्ति विवरणी (Annual Property Returns (APR) वक्त पर प्रस्तुत किया है (प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के लिए लागू)	:	हॉ/नहीं
6	वार्षिक संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि	:	
7	सतर्कता अनापत्ति प्राप्त करने का उद्देश्य	:	
8	क्या अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही या चार्जशीट लंबित है (यदि ऐसा है तो पहले के रिकार्ड प्रस्तुत करें)	:	हॉ/नहीं
9	यदि हाँ तो विवरण/ताजा स्थिति की जानकारी दे	:	
10	क्या सजा की प्रक्रिया के अधिन है. (क्या आवेदक के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई की गई है. यदि हाँ विस्तृत विवरण दें.)	:	हॉ/नहीं
11	क्या मुंपोट्र/पत्तन द्वारा स्थानिक पुलिस में कोई केस दर्ज किया गया है/लंबित है.	:	हॉ/नहीं
12	आज की तारीख में क्या अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत लंबित है (यदि हां, तो विवरण दिया जाय)		

(वि.प्र. के हस्ताक्षर/मा.सं.विभाग)

भाग बो **सतर्कता विभाग द्वारा भरा जाए:**

13	सतर्कता विभाग की अभ्युक्तियॉ (संपूर्ण ताजा स्थिति तथा सिफारिशें यदि कोई हो तो दें. यदि आवश्यक हो तो अलग प्रपत्र जोडें)	:	
14	सतर्कता अनापत्ति	:	प्रदान की गयी/नहीं प्रदान की जा सकती

दिनांक:

(मुख्य सतर्कता अधिकारी / उप मुख्य सतर्कता अधिकारी के हस्ताक्षर/)

161/share/Welfare/Sr.Dy. Manager Welfare 2022/Annexure-III (Hindi) 23.2.2022